न्यायालय अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : ओम प्रकाश बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 30/2019

अपीलांट्स– *बनाम* **रेस्पोडेंट –**

1. बाबूलाल पुत्र भागीरथ
2. नरसिंगाराम पुत्र भागीरथ
3. जयकिशन पुत्र भागीरथ
4. जालाराम पुत्र भागीरथ
5. रामाकिशन पुत्र रामूराम
6. सांवताराम पुत्र रामूराम
7. चुन्नीलाल पुत्र सगराम
8. ओमप्रकाश पुत्र सगराम
9. केली पत्नि सगराम
10. सदराम पुत्र रिड़मलराम
11. वीराराम पुत्र रिड़मलराम
12. सुगनी बेवा रिड़मलराम
13. हनुमानप्रसाद पुत्र किशनाराम
14. भंवरलाल पुत्र किशनाराम
15. गोपीलाल पुत्र किशनाराम
16. कोयली पत्नि किशनाराम
17. जगमाल पुत्र रामचन्द्र

जाति बिश्नोई निवासी गंगापुरा भैरूड़ी
तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर

तहसीलदार सेड़वा
जिला बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश दिनांक 31.07.2018 जो तहसीलदार सेड़वा द्वारा अपीलांट्स की संयुक्त खातेदारी की भूमि को विभाजित करने हेतु पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री ओमप्रकाश बिश्नोई, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।
2. रेस्पोडेंट प्रफॉर्मा पक्षकार।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.01.29 13:38:49 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

दिनांक : 29/12/2020

1. अपीलांट्स की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार सेड़वा के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश दिनांक 31.07.2018 के विरूद्ध पेश की गई हैं।

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि मौजा गंगापुरा के खसरा नंबर 104, 105, 106, 111, 221/112, 223/112 रकबा कुल 144–16 बीघा भूमि के खातेदारान बाबूलाल, नरसिंगाराम, जयकिशन पि0 भागीरथराम 1/36, बाबूलाल, जालाराम, नरसिंगाराम, जयकिशन पि0 भागीरथराम 1/18, रामकिशन, सांवताराम पि0 रामू 1/6, चुन्नीलाल, ओमप्रकाश पि0 सगराम, केली बेवा सगराम 1/12, सदराम, वीराराम पि0 रिड़मलराम, सुगणीदेवी पत्नि रिड़मलराम 1/6, हनुमानप्रसाद, भंवरलाल, गोपीलाल पि0 किशनाराम, कोयली बेवा किशनाराम 1/6, जगराम वल्द रामचन्द्र 1/3, कौम बिश्नोई साकिन देह ने प्रार्थना पत्र दिनांक 23.07.2018 तहसीलदार सेड़वा के समक्ष प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का विभाजन करने का निवेदन किया। पक्षकारान की पहचान हल्का पटवारी भैरूड़ी द्वारा की गई तथा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि पक्षकारान के उक्त इकरारनामे की रिकार्ड के आधार पर जांच की गई। वर्णित भूमि उक्त खातेदारों के नाम सह काश्तकारी मे दर्ज है तथा इस इकरारनामे मे भूमि एवं लगान का विवरण सही किया गया है, इसी माफिक सभी पक्षकार सहमत है। इस पर तहसीलदार सेड़वा द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक 2145 दिनांक 31.07.2018 पारित किया गया। अपीलांट्स ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश को अपास्त करने हेतु यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 11.10.2019 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट्स की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अपीलाधीन अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट्स के अधिवक्ता को सुना। अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि तहसीलदार सेड़वा द्वारा पक्षकारान की खातेदारी भूमि के विभाजन पत्र स्वीकृति आदेश दिनांक 31.07.2018 पारित करने मे भारी विधिक भूल की है। अपीलाधीन आदेश अपीलांट्स के मध्य पूर्व में हुए बाहमी बंटवाडा अनुसार नहीं किया गया है तथा नक्शा ट्रेस की तरमीम एवं मौका पर कब्जा काश्त मे भारी [illegible] है जिसके कारण अपीलांट्स की ढ़ाणियां, बाड़े आदि [illegible] आते हैं। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश निरस्त [illegible] योग्य है। हल्का पटवारी ने अपीलाधीन विभाजन प्रस्ताव पक्षकारान के [illegible] अनुसार नहीं किया है और न ही मौके पर नाप कर कच्चा नक्शा बनाया बल्कि खाली नक्शे पर हस्ताक्षर करवा

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.01.29 13:38:49 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

दिये तथा बाद में जब नक्शा की अलग–अलग तरमीम हलका पटवारी ने की तब वह मौके पर अपीलांट्स के कब्जे काश्त अनुसार नहीं थी। अपीलांट्स को इस गलत विभाजन नक्शे का ज्ञान नहीं था तथा अरसा 25 दिन पूर्व अपीलांट्स ने अपने खेत की पैमाईश करवाने हेतु हलका पटवारी से सम्पर्क कर राजस्व रेकर्ड की जांच की तो वादग्रस्त खेतों की तरमीम व मौके की स्थिति में भिन्नता होने की जानकारी हुई। इसपर अपीलांट्स ने उक्त विभाजन आदेश की प्रति दिनांक 30.08.2019 को प्राप्त कर सम्यक तत्परता से यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है, फिर भी सद्भाविक रूप से विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र पृथक से प्रस्तुत किया गया है। अतः अपीलांट्स की अपील अन्दर मयाद शुमार कर अपीलाधीन आदेश अपास्त फरमावें एवं विवादित भूमि का नये सिरे से पक्षकारान के मौके पर कब्जा काश्त व बाहमी बंटवाडे अनुसार विभाजन किये जाने का आदेश फरमावें।

5. हमने अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा गंगापुरा के खसरा नंबर 104, 105, 106, 111, 221/112, 223/112 रकबा कुल 144–16 बीघा भूमि के खातेदारान बाबूलाल, नरसिंगाराम, जयकिशन पि0 भागीरथराम 1/36, बाबूलाल, जालाराम, नरसिंगाराम, जयकिशन पि0 भागीरथराम 1/18, रामकिशन, सांवताराम पि0 रामू 1/6, चुन्नीलाल, ओमप्रकाश पि0 सगराम, केली बेवा सगराम 1/12, सदराम, वीराराम पि0 रिड़मलराम, सुगणीदेवी पत्नि रिड़मलराम 1/6, हनुमानप्रसाद, भंवरलाल, गोपीलाल पि0 किशनाराम, कोयली बेवा किशनाराम 1/6, जगराम वल्द रामचन्द्र 1/3, कौम बिश्नोई साकिन देह ने प्रार्थना पत्र दिनांक 23.07.2018 तहसीलदार सेड़वा के समक्ष प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का विभाजन करने का निवेदन किया। तहसीलदार सेड़वा द्वारा पक्षकारान की सहमति अनुसार उक्त विभाजन इकरारनामा स्वीकृत कर दिया। अपीलाधीन विभाजन इकरारनामा का अवलोकन से यह पाया जाता है कि इस विभाजन इकरारनामा मे भूमि के विभाजन नक्शा की प्रस्तावित तरमीम की मौका कब्जा अनुसार जांच नही करवाई गई। हल्का पटवारी की ओर से मात्र राजस्व अभिलेख मे सह खातेदारी होने एवं लगान का सही विवरण होने का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार तहसीलदार सेड़वा द्वारा खातेदारान की कृषि जोत के विभाजन हेतु राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 मे विहित प्रक्रिया का पालन नही किया गया है। अपीलांट्स के अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्य अनुसार उनके कब्जा काश्त की भूमि व मौका एवं नक्शा में भिन्नता आ गई है एवं विवाद की स्थिति है। प्रकार मौके पर बिना पैमाईश एवं जांच तैयार विभाजन प्रस्ताव से यह भली–भांति साबित है कि अपीलाधीन विभाजन आदेश वास्तविक कब्जे–काश्त अनुसार नही किया गया है।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.01.29 13:38:49 IST
Reason: SelfAttested

अपर कलेक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

यद्यपि अपीलाधीन कार्यवाही अपीलांट्स की सहमति से निष्पादित होना अभिलेख पर है किन्तु इस विभाजन के फलस्वरूप पक्षकारान के बीच कब्जे–काश्त को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है तथा वास्तविक स्थिति की जानकारी होने पर यह अपील प्रस्तुत की गई है, जो अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को सद्भाविक मानते हुए क्षमा किया जाना हम उचित मानते है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार सेड़वा द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व मौका कब्जा की जांच नही करने से उक्त विभाजन दूषित एवं विवादित हो गया है, जिसे बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

6. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर रेस्पोडेंट तहसीलदार सेड़वा द्वारा विभाजन स्वीकृति आदेश दिनांक 31.07.2018 अपास्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार सेड़वा को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मौका कब्जा एवं पक्षकारान की सहमति अनुसार राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 मे यथा विहित प्रावधानों की पालना करते हुए पुनः नये सिरे से विभाजन की कार्यवाही करें।

7. निर्णय आज दिनांक 29.12.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(ओम प्रकाश बिश्नोई)
अपर जिला कलक्टर,
बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.01.29 13:38:49 IST
Reason: SelfAttested